संख्या-3784/9-9-08-182ज/04

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4- महा प्रबन्धक, समस्त जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांकः 29 दिसम्बर, 2008

विषयः दृष्टिहीनों/विकलांगों को भवन कर, जलकर से छूट दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-2955/नौ-9-04-182ज/04 दिनांक 05.11.04 एवं तत्संबंधी अनुवर्ती शासनादेश संख्या-2955/नौ-9-05-182ज/05 दिनांक 17.10.05 एवं शासनादेश संख्या-4644/नौ-9-06-182ज/06 दिनांक 08.02.06 द्वारा दृष्टिहीन/विकलांग जन को भवन कर, जलकर में छूट प्रदान करने संबंधी व्यवस्थाओं को संशोधित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगर निकायों में दृष्टिहीनों एवं विकलांगों को गृहकर एवं जलकर से छूट दिये जाने संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी :-

"भवन कर/जलकर में 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दृष्टिहीन अथवा विकलांग जन को शत प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक दृष्टिहीन अथवा विकलांग जन को 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।"

भवदीय

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव

नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, सूचना विभाग।
6- अधिशासी अधिकारी न0पा0प0/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश। (द्वारा जिलाधिकारी)
7- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव